फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

कल्लू / रघुनाथ

केस संख्या : 166/2025

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	24/12/2025	[illegible] दिनांक 24/12/2025 को [illegible] डिस्ट्रिक्ट एड. बार एसो. [illegible] की जाने से पत्रावली [illegible]नुसार दिनांक 30/12/25 को पेश हो।	
	30/12/25	पत्रावली पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एड बार एसो. [illegible] कार्य स्थगित किए जाने से पत्रावली [illegible]नुसार दिनांक 2/01/2026 को पेश हो।	
	2/1/26	पत्रावली प्रस्तुत। वादी व वादी के अधिवक्ता अनुपस्थित। वास्ते बहस दिनांक 07/1/26 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	07/1/26	पत्रावली प्रस्तुत। वादी व वादी अधिवक्ता अनुपस्थित प्रतिवादी अधिवक्ता उप.। चूंकि पूर्व में आदेशा अनुपस्थित रहने पर गुणावगुण पर निर्णय किया जायेगा लिखा गया था अतः। वास्ते आदेश हेतु दिनांक 09/01/26 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	09/1/2026	पत्रावली प्रस्तुत। वादी व वादी के अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता ~~बहस हेतु~~ उपस्थित। पत्रावली गुणावगुण के आधार पर निर्णय हेतु नियत है। प्रस्तुत दस्तावेज, [illegible] अनुसार वाद, वादीगण खारिज किया जाकर विस्तृत निर्णय एवं डिक्री पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 166/2025 वाद प्रस्तुति दिनांक – 23.06.2011

1. बल्लूराम पुत्र स्वव कालू
2. केसर पुत्र स्व0 कालू
3. बंशी पुत्र स्व0 कालू
4. गोविन्द पुत्र स्व0 कालू
5. भगवानसहाय पुत्र स्व0 कालू

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम खपरिया, तहसील आमेर, जिला जयपुर (राज0)

.......वादीगण

बनाम

1. रघुनाथ पुत्र मांगू
2. नन्हूराम पुत्र मांगू
3. हरिनारायण पुत्र मांगू
4. लल्लूराम पुत्र मांगू
5. रामनिवास पुत्र जौधा
6. मनफूली देवी पत्नि श्री लालाराम उर्फ हरीश
7. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय, आमेर, जिला जयपुर
8. तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर
9. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा चौमूँ, जिला जयपुर प्रतिवादीगण

..........प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा मय दुरूस्ती रिकॉर्ड अन्तर्गत धारा – 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

उपस्थिति :–

(1) वादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

(2) श्री हेमन्त सोगानी – अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से।

दिनाँक:– 09.01.2026

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम खपरिया, पटवार हल्का अनोपपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र जाहोता, तहसील आमेर, जिला जयपुर (राज0) स्थित आराजीयात् खसरा नम्बर 531 रकबा 0.59 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.59 हैक्टेयर इस वाद में वादग्रस्त है, जिसे आगे चलकर इस वाद पत्र में वादग्रस्त आराजीयात् कहा गया है। यह कि आराजी जैर वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के पूर्वज बजमाने जागीरदारी के समय से काबिज काश्त है तथा भूमि वादग्रस्त का पूर्ण रूप से उपयोग एवं उपभोग करते चले आ रहे है प्रतिवादीगण का आराजी जैर वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है, वादीगण व उनके पूर्वजों का कब्जा प्रतिवादीगण काश्त होने से वादीगण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अर्न्तगत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का पूर्ण विधिक अधिकार प्राप्त है, वादीगण के कब्जे की जानकारी प्रतिवादीगण एवं पूर्वजों को बखूबी रही है प्रतिवादीगण ने वादीगण के कब्जे काश्त में कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया, वादीगण का एडवर्स पजेशन होने से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है । यह कि प्रतिवादीगण का आराजी जैर वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध एवं सरोकार नहीं रहा है, दौराने प्रथम बन्दोबस्त वादग्रस्त आराजीयात् का गलत अंकन प्रतिवादीगण के पूर्वज के नाम हो गया तत्पश्चात् प्रतिवादीगण ने गलत रूप से खाता तन्हा अपने नाम कायम करवा लिया जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 5 का कभी कोई कब्जा काश्त आराजी जैर वादग्रस्त भूमि पर नहीं रहा है वादीगण का अपने पूर्वजों के समय से वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण की जानकारी से तन्हा कब्जा काश्त रहा है। वादीगण का आराजी जैर भूमि में कब्जे के आधार से खातेदारी अधिकार प्रौदभाव हो गये है। जिसकी वादीगण घोषणा करवाने के विधिक अधिकारी है । यह कि वादग्रस्त आराजी के मौजूदा राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी संख्या 6 का हिस्सा 1/6 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसपर वादीगण उसके निर्बाध खुल्लम खुल्ला शान्तिपूर्वक कब्जे में 70 वर्षो से भी अधिक समय से लगातार पुश्तैनी तौर पर चले आने से वादीगण वादग्रस्त आराजीयात् के उक्त हिस्सों के समय के अवसान् के प्रभाव से प्रतिकूल कब्जे (Adverse Possession) के आधार पर खातेदार काश्तकार हो गये है किन्तु अब प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 वादग्रस्त आराजीयात् को अन्यत्र बेचान कर वादीगण को उनके हक व हिस्से से महरूम कर देना चाहते है तथा वादग्रस्त आराजीयात् के बेचान बाबत प्रतिवादी संख्या 6 ने वादीगणों को दिनांक 18.06.2011 को धमकी दी जिस कारण यह वाद प्रस्तुत करना लाजमी आया है । यह कि ऐसे में वादीगणों को यह पूर्ण अधिकार प्राप्त है कि माननीय न्यायालय के समक्ष यह वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात् के मौजूदा राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के नाम की भूमि को प्रतिकूल कब्जे (Adverse Possession) के आधार पर घोषणा करवाते हुये वादग्रस्त आराजीयात् के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाये तथा तदनुसार इन्द्राजात् दुरूत करवाये तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्ध करवाये

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

वादीगण ने अपने दावे के समर्थन में दस्तोवज साक्ष्य में प्रतिलिपि नकल जमाबंदी संवत 2067–2070, नक्शा ट्रेस संवत 2040, मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी संवत 2030–2033, बिजली का बिल दिनांक 07.08.2009 प्रस्तुत किया है।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 व 6 ने जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है, कि ग्राम खपरिया, तहसील आमेर स्थित भूमि खसरा नम्बर 531 रकबा 0.59 हैक्टे0 पर वादीगण, जागीरदारी के समय से या अन्यथा कभी से भी काबिज हों अथवा वादीगण का कब्जा काश्त हो । वादीगण ने अथवा उनके पूर्वजों ने भूमि विवादग्रस्त का कभी उपयोग अथवा उपभोग नहीं किया ना ही उनका कभी कब्जा काश्त रहा । भूमि विवादग्रस्त खसरा नम्बर 531 रकबा 0.59 हैक्टे0 सम्पूर्ण पर उत्तरदाता प्रतिवादीगण ही खातेदार कृषक की हैसीयत से निरन्तर काबिज हैं और काश्त करते चले आ रहे हैं। जब भूमि विवादग्रस्त पर वादीगण का कब्जा ही नहीं है तब उन्हें तथाकथित एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । भूमि विवादग्रस्त उत्तरदाता/प्रतिवादीगण की ही खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है और उत्तरदाता ही भूमि विवादग्रस्त पर निरन्तर काबिज रह कर काश्त करते चले आ रहे हैं, राजस्व भू–अभिलेखों में सही रूप से उत्तरदाता व उनके पूर्वजों के नाम खातेदारी अंकित की गई। जागीरदारी के समय से या अन्यथा कभी से भूमि विवादग्रस्त पर यादीगण का किसी प्रकार का कोई अधिकार व कब्जा काश्त नहीं रहा, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय भी कभी वादीगण का भूमि विवादग्रस्त पर वास्तविक कब्जा नहीं रहा और इसलिये उन्हें भूमि विवादग्रस्त पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुए । जब वादीगण के भूमि विवादग्रस्त पर कोई अधिकार ही नहीं है तब उन्हें भूमि विवादग्रस्त में किसी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । भूमि विवादग्रस्त उत्तरदाता/प्रतिवादीगण के ही नाम खातेदारी में दर्ज है । वादीगण का भूमि विवादग्रस्त पर कभी वास्तविक कब्जा ही नहीं रहा इसलिये वादीगण को भूमि विवादग्रस्त में किसी प्रकार के कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । जब वादीगण अथवा उनके पूर्वजों के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व भी किसी प्रकार के कोई अधिकार ही प्रतिवादीगण के पूर्वज स्व. श्री मांग्या पुत्र जोधा अहीर उक्त भूमि विवादग्रस्त जो साबिका खसरा नम्बर ... कुल रकबा 28 बीघा 8 बिस्वा का एक भाग है, पर खातेदार कृषक की हैसीयत से काबिज थे और उनके पश्चात उत्तरदाता ही भूमि विवादग्रस्त पर निरन्तर काबिज रह कर काश्त करते चले आ रहे हैं । जागीरदारी के समय से या अन्यथा तथाकथित 70 वर्षो से कभी से भूमि विवादग्रस्त पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं रहा और जब वादीगण का भूमि विवादग्रस्त के किसी भू–भाग पर वास्तविक कब्जा ही नहीं है तब उन्हें तथाकथित कब्जा मुखालफाना के आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

पर भूमि विवादग्रस्त में किसी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। प्रतिवादीगण भूमि विवादग्रस्त पर साधिकार काबिज रह कर काश्त करते चले आ रहे हैं । यद्यपि उत्तरदाता फिलहाल भूमि विवादग्रस्त का कोई बेचान नहीं करना चाह रहे हैं परन्तु उत्तरदाता व प्रतिवादीगण को पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं कि वे भूमि विवादग्रस्त का जिस प्रकार चाहे उपयोग व उपभोग करें । प्रतिवादीगण ने वादीगण को दिनांक 18–6–2011 किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी जिसकी वजह से वादीगण को दावा प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता पड़ी हो। विशेष विवरण अतिरिक्त आपत्तियों में दर्ज है। भूमि विवादग्रस्त प्रतिवादीगण की ही खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है । वादीगण का भूमि विवादग्रस्त के किसी भू–भाग पर वास्तविक कब्जा ही नहीं है इसलिये वादीगण का तथाकथित प्रतिकूल कब्जा होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । जब वादीगण का भूमि विवादग्रस्त पर वास्तविक कब्जा ही नहीं है तब वह प्रतिकूल कब्जा (Adverse Possession) के आधार पर भूमि विवादग्रस्त में अपने किसी प्रकार के खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के अधिकारी नहीं हैं। जब वादीगण के भूमि विवादग्रस्त में किसी प्रकार के कोई अधिकार ही नहीं है तब वे प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। भूमि विवादग्रस्त पर वादीगण का वास्तविक कब्जा काश्त ही नहीं है इसलिये वादीगण के तथाकथित कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किये जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। यद्यपि उत्तरदाता / प्रतिवादीगण भूमि विवादग्रस्त का फिलहाल कोई हस्तांतरण नहीं करना चाहते परन्तु प्रतिवादीगण को पूर्ण अधिकार प्राप्त है कि वे अपनी कृषि जोत का जिस प्रकार चाहे उपयोग एवं उपभोग करे अथवा उसे हस्तांतरित करे । वादीगण, प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है वादीगण, प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा अथवा अन्य किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। 8– यह कि वाद पत्र पत्र का पैरा संख्या 8 जिस प्रकार वर्णित किया गया है, गलत है तथा उससे इनकार है। वादीगण के जब भूमि विवादग्रस्त में किसी भी प्रकार के कोई अधिकार, कब्जा व दखल ही नहीं है तब उन्हें ना तो भूमि विवादग्रस्त से तथाकथित वंचित किया जा सकता है और ना ही उन्हें किसी प्रकार की कोई क्षति होने का प्रश्न ही उत्पन्न होता है । वादीगण बिना किसी आधार, अधिकार व कब्जे के प्रतिवादीगण के विरुद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करते हैं तो प्रतिवादीगण को ही क्षति हो सकती है, वादीगण को किसी प्रकार की कोई क्षति होना नहीं सकती । विशेष विवरण अतिरिक्त आपत्तियों में दर्ज है। । प्रतिवादीगण ने वादीगण को दिनांक 18–6–2011 को किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी और वादीगण को दिनांक 18–6–2011 को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ और ना ही वर्तमान में उत्पन्न हो रहा है । वादीगण ने तथाकथित कब्जा मुखालफाना (एडवर्स पजेशन) के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा चाही है जो प्रदत्त करने का माननीय राजस्व न्यायालय को

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:39 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के किसी प्रावधान के अन्तर्गत कोई क्षेत्राधिकारी नहीं है इसलिये वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा चल नहीं सकता और निरस्त किये जाने योग्य है । ठसके अतिरिक्त प्रतिवाद ग्राम खपरिया, तहसील आमेर, जिला जयपुर स्थित भूमि साबिका खसरा नम्बर 299 रकबा 28 बीघा 8 बिस्वा अन्य खसरा नम्बरान के साथ मांगू उर्फ मांग्या पुत्र जोधा अहीर की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी । संवत् 2004 लगायत 2023 की खतौनी बंदोबस्त में खसरा नम्बर 299 रकबा 28 बीघा 8 बिस्वा श्री मांगू उर्फ मांग्या पुत्र जोधा अहीर की खातेदारी में दर्ज था । भूमि विवादग्रस्त पर मांगू उर्फ मांग्या पुत्र जोधा अहीर ही तन्हा खसरा नम्बर 299 के विभिन्न भू–भागों को काबिज रहकर काश्त करता रहा और अलावा भूमि विवादग्रस्त के, श्री मांगू उर्फ मांग्या पुत्र जोधा ने अपने जीवनकाल में पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर कब्जा संभलाया है जिनके आधार पर नामांतरकरण क्रेतागण के नाम तस्दीक हो गये और उक्त क्रेतागण ही उक्त भूमि क्रय की गई भूमि पर निरन्तर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। श्री मांगू उर्फ मांग्या पुत्र जोधा द्वारा अपने जीवनकाल में खसरा नम्बर 299 के विभिन्न भू–भागों को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा हस्तांतरित किये जाने के पश्चात् जो भूमि शेष बची उसके हाल बंदोबस्त में नवीन खसरा नम्बर 531 रकबा 0.59 हैक्टे0 बने हैं। प्रतिवादीगण के पिता श्री मांगू उर्फ मांग्या अहीर का वर्ष 1989 में स्वर्गवास हो गया जिसके कानूनी उत्तराधिकारी उत्तरदाता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 है जो भूमि विवादग्रस्त पर निरन्तर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। मांगू उर्फ मांग्या अहीर का स्वर्गवास हो जाने पर नियमानुसार उनकी विरासत का नामांतरकरण उत्तरदाता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के नाम तस्दीक किया गया और राजस्व भू–अभिलेखों में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज है और खसरा नम्बर 531 के अलावा खसरा नम्बर 532, 533/854, 539, 780, 781 0 783 कुल किता 7 रकबा 4.53 हैक्टे. में 1\63 हिस्से की क्रेता के रूप में प्रतिवादी संख्या 6 का नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज है। वादीगण ने भूमि विवादग्रस्त पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व से तथा 70 वर्ष की समयावधि से अपना तथाकथित वास्तविक कब्जा होना जाहिर किया है जबकि उस वक्त भूमि खसरा नम्बर 531 का कोई अस्तित्व ही नहीं था और उसके काफी समय के पश्चात साबिका खसरा नम्बर 299 के एक भाग [illegible] खसरा नम्बर 531 बना है । खसरा नम्बर 299 का कुल रकबा 28 बीघा 8 बिस्वा [illegible] ने यह अंकित ही नहीं किया है कि वह किस भूमि पर तथा किस प्रकार तथा[illegible]त कब्जे में थे वास्तव में चूंकि वादीगण का खसरा नम्बर 299 के किसी भू–भाग पर [illegible]विक कब्जा नहीं रहा इसीलिये ही वादीगण द्वारा उक्त संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई कथन नहीं किया गया जिससे भी वादीगण के कथन की असत्यता संदेह से बाहर स्पष्ट होती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत तथाकथित कब्जा मुखालफाना के आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो सकने के कोई प्रावधान नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर न., जयपुर

भूमि विवादग्रस्त के किसी भूदृभाग पर वादीगण का वास्तविक कब्जा काश्त ही नहीं है और इसलिए उन्हें तथाकथित कब्जा मुखालफाना के आधार पर भूमि विवादग्रस्त में खातेदारी अधिकार प्राप्त होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । वादीगण ने बिना किसी आधार के तथाकथित कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु दावा प्रस्तुत किया है जो संधारण योग्य नहीं है और इसलिये भी यह दावा निरस्तनीय है । वादीगण का भूमि विवादग्रस्त पर वास्तविक कब्जा काश्त ही नहीं है इसलिये अन्यथा भी कब्जे के संबंध में पारिणामिक अनुतोष चाहे बिना खातेदारी अधिकारों की घोषणा के अनुतोष हेतु वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा चल नहीं सकता और वास्तविक कब्जे के अभाव में वादीगण किसी प्रकार की कोई स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं । न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, आमेर (मु0 जयपुर) के समक्ष ग्राम खपरिया, तहसील आमेर, जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 531 रकबा 0.59 हैक्टे0, 532 रकबा 0.97 हैक्टे0, 533/834 रकबा 0.06 हैक्टे0, 539 रकबा 0.48 हैक्टे0, 540 रकबा 0.04 हैक्टे0, 780 रकबा 0.90 हैक्टेव, 781 रकबा 0.46 हैक्टे0 व खसरा नम्बर 783 रकबा 1.07 हैक्टे0 के संबंध में मनफूली देवी बनाम रामनिवास व अन्य के संबंध में एक वाद प्रस्तुत हुआ जिस पर न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, आमेर (मु0 जयपुर) ने तहसीलदार आमेर को कुरेजात रिपोर्ट मंगवाने के आदेश प्रदान किये हैं । उक्त कुरेजात रिपोर्ट में वर्णित खसरा नम्बरों में एक खसरा नम्बर 531 रकबा 0.59 हैक्टे0 पर उत्तरदाता प्रतिवादीगण का मौके पर कब्जा व काश्त होना माना है, जिससे भी यह स्पष्ट होता है कि खसरा नम्बर 531 रकबा 0.59 हैक्टे0 पर कब्जा उत्तरदाता प्रतिवादीगण का ही है और उक्त पूर्व वाद की मौजूदगी में मौजूदा पश्चातवर्ती दावा चल नहीं सकता और निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रतिवादीगण का जवाब पेश होने पर दावे में निम्न विवाद्यक तनकी कायम की गई :–

1. आया भूमि खसरा नम्बर 531 रकबा 0.59 हैक्टेयर वाके ग्राम खपरिया तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित हैं पर वादीगण के पूर्वज बजमाने जागीरदारों के समय से काबिज काश्त हैं, प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है, वादीगण का एडवर्स पजेशन होने से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है?

.....वादीगण

2. आया वादीगण अथवा उनके पूर्वजों ने भूमि वा[illegible] कभी उपयोग–उपभाग नहीं किया ना ही उनका कब्जाकाश्त [illegible] खातेदार कृषक की हैसियत से निरंतर काबज काश्त हैं [illegible] का कोई कानूनी अधिकारी प्राप्त नहीं ह`ना [illegible] को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है?

...प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

तदुपरान्त साक्ष्य वादी हेतु वादीया पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये।

1. PW1 केसर पुत्र स्व. कालू जाति अहीर तहसील आमेर जयपुर
2. PW2 गोविन्दराम पुत्र श्री नाथूराम जाति यादव निवासी मोहनपुरा तहसील आमेर,जयपुर
3. PW3 अर्जुन लाल पुत्र श्री नन्दाराम जाति अहीर निवासी ग्राम खपरिया तहसील आमेर,जयपुर
4. PW3 गोविन्दनारायण पुत्र श्री नाथूराम जाति यादव निवासी मोहनपुरा तहसील आमेर,जयपुर
5. दस्तावेजी साक्ष्य प्रतिलिपि जमाबंदी संवत 2067 से 2067 प्रदर्श–1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श–2, विद्युत बिल प्रदर्श–3, नकल सहायक कलक्टर आमेर में प्रस्तुत वाद संख्या 93/2008 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–4, तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 08/12/2010 प्रदर्श–5, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–6, मिसल बन्दोबस्त संवत 2004 से 2023 प्रदर्श–7, गत जमाबदी संवत 2030 से 2033 प्रदर्श–8 पेश कर वादीगण ने प्रदर्शित करवाया।

प्रतिवादी साक्ष्य वादी हेतु प्रतिवादी पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये।

1. DW1 हरिनारायण पुत्र स्व. श्री मांगू जाति अहिर निवासी खपरिया तहसील आमेर जयपुर।
2. DW2 लल्लूराम पुत्र स्व. श्री मांगू जाति अहिर निवासी खपरिया तहसील आमेर जयपुर।
3. DW3 प्रभूदयाल यादव पुत्र स्व. श्री लक्ष्मण यादव जाति अहीर निवासी पटवारी की ढाणी, ग्राम खपरिया तहसील आमेर जयपुर

दस्तावेजी साक्ष्य प्रतिवादीगण प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत 2075–2078 खसरा नम्बर 531 प्रदर्श ए–1, प्रमाणित प्रति नक्शा खसरा नम्रब 534 एवं अन्य प्रदर्श ए–2, प्रमाणित प्रति माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर निर्णय दिनांक 27/08/2015 मय कुर्रेजात रिपोर्ट प्रदर्श ए–3 प्रतिवादीगण ने प्रदर्शित करवाया।

हमने विद्वान अधिवक्तागण वादी एवं प्रतिवादीगण को बहस हेतू अवसर दिया। परन्तु वादी एवं उनके अधिवक्ता लगातार अनुपस्थित रहे तद्उपरान्त न्यायालय ने गुणावगुण के आधार पर निर्णय हेतू आदेशित किया। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। न्यायिक दृष्टान्तो तथा प्रतिवादीगण के जवाब दावा पर मनन किया। पत्रावली व प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया तथा तनकीयात् निम्नानुसार निर्णित की जाती है :–

तनकीवार विवेचन एवं निष्कर्ष (Finding)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:39 IST
Reason: SelfAttested

चूंकि तनकी नंबर 1 और 2 परस्पर विरोधी हैं और पूरे दावे का निस्तारण इन्हीं पर आधारित है, अतः इनका निर्णय साक्ष्य के सूक्ष्म विश्लेषण (Appreciation of Evidence) के आधार पर एक साथ किया जा रहा है। वादी ने **प्रतिकूल कब्जे (Adverse Possession) के सिद्धांत पर वाद प्रस्तुत किया है,** कानूनन 'प्रतिकूल कब्जा' साबित करने का भार वादी पर होता है। वादी को यह सिद्ध करना

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

अनिवार्य है कि उसका कब्जा कब शुरू हुआ (Date of entry), कब्जा किसके विरुद्ध था, और वह कब्जा वास्तविक, शांतिपूर्ण व मूल मालिक की जानकारी में (Hostile) था। केवल लम्बे समय तक कब्जा होना ही प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जा सकता जब तक कि 'Animus Possidendi' (स्वामित्व की भावना) सिद्ध न हो। वादी गवाह 1 केसर का बयानः वादी केसर ने जिरह में स्वीकार किया है कि "आज यह भूमि मांगीलाल के लड़कों रघुनाथ, नन्दू, हरिनारायण, लल्लू के नाम है"। उसने स्पष्ट माना कि "यह बात सही है कि यह जमीन हमारे नाम कभी नहीं रही"। प्रतिकूल कब्जे के लिए कब्जे की शुरुआत की तारीख बताना आवश्यक है, लेकिन गवाह ने कहा "मुझे यह जानकारी नहीं है कि उक्त भूमि पुराने समय में किसके नाम थी"। वादी ने यह भी स्वीकार किया कि "मनफूली बनाम रामनिवास केस में. तहसीलदार ने जो रिपोर्ट बनाई... झगड़े में मालूम हुआ कि हमारा कब्जा (प्रतिवादीगण का) बताया गया है" । यह स्वीकृति वादी के कब्जे के दावे को पूरी तरह झुठलाती है।

वादी के गवाह 3 अर्जुन लाल द्वारा दावे का खंडनः वादी द्वारा अपने समर्थन में पेश किए गए गवाह –3 अर्जुन लाल ने न्यायालय के समक्ष वादी के विरुद्ध गवाही दी है, जो इस केस का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। अर्जुन लाल ने शपथ पर कहाः "रघुनाथ वगैरह अपनी जमीन पर काबिज काश्त हैं"।"मेरा रघुनाथ वगैरह से कोई झगड़ा नहीं है... बल्लू व रघुनाथ के बीच कोई झगड़ा नहीं है, दूसरे लोगों ने झगड़ा करा रखा है"। जब वादी का अपना ही गवाह यह कह रहा है कि मौके पर कब्जा प्रतिवादी (रघुनाथ/हरिनारायण) का है और दावा झूठा है, तो प्रतिकूल कब्जे का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

इसके अतिरिक्त प्रतिवादी गवाह हरिनारायण और लल्लूराम ने अपने बयानों में जमाबंदी और गिरदावरी के आधार पर अपना कब्जा बताया है। उन्होंने न्यायालय के पूर्व आदेश (दिनांक 27.08.2015) और कुरेजात रिपोर्ट (प्रदर्श ए–3) का हवाला दिया, जिसमें खसरा नं. 531 पर प्रतिवादीगण का कब्जा प्रमाणित पाया गया था । वादी गवाह लल्लूराम ने भी स्वीकार किया है कि राजस्व रिकॉर्ड में 531 नंबर है और उसने रिकॉर्ड देखा है । तथा पूर्व के मुकदमों में तहसीलदार द्वारा पेश की गई रिपोर्ट और कुरेजात (प्रदर्श–3) में भी कब्जा प्रतिवादीगण का [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:39 IST
Reason: SelfAttested

इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण बिन्दु [illegible] न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों [illegible] प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वामित्व (Ownership) का दावा दीवानी प्रकृति (Civil Nature) [illegible] होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो राजस्व न्यायालय को यह शक्ति देता हो कि वह एक दर्ज खातेदार के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति को केवल 'प्रतिकूल कब्जे' के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करे। अतः यह दावा विधिक रूप से पोषणीय (Maintainable) नहीं है।

सहायक कलक्टर
आमेर म., जयपुर

निष्कर्षः– वादीगण न तो कानूनन (क्षेत्राधिकार के बिंदु पर) और न ही तथ्यों पर (कब्जा साबित करने में) अपना वाद सफल कर पाए हैं। राजस्व न्यायालय को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी देने का क्षेत्राधिकार नहीं है और मौके पर वादी का कब्जा भी नहीं है। अतः तनकी नंबर 1 वादीगण के विरुद्ध तय की जाती हैं। तथा तनकी संख्या 3 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

:: आदेश (Order) ::

तनकी संख्या 1 वादी के विरुद्ध एवं तनकी संख्या 2 प्रतिवादी के पक्ष में साबित होने एवं साक्ष्य के विश्लेषण और उपरोक्त विधिक विवेचन के आधार पर यह न्यायालय निम्न आदेश पारित करता है:

वादीगण बल्लूराम वगैराह द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, गुण–दोष (Merit) एवं 'प्रतिकूल कब्जे' (Adverse Possession) के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करने का इस न्यायालय को काश्तकारी अधिनियम के तहत क्षेत्राधिकार नहीं है, और वैसे भी वादीगण मौके पर अपना कब्जा साबित करने में पूर्णतः विफल रहे हैं। इस आधार पर खारिज (Dismiss) किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 09.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 166/2025
बउनवानी – बल्लूराम बनाम रघुनाथ वगै0
निर्णय दिनांक – 0[illegible].01.2026

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारीः श्रीमती सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 166/2025 वाद प्रस्तुति दिनांक – 23.06.2011

1. बल्लूराम पुत्र स्वव कालू
2. केसर पुत्र स्व0 कालू
3. बंशी पुत्र स्व0 कालू
4. गोविन्द पुत्र स्व0 कालू
5. भगवानसहाय पुत्र स्व0 कालू

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम खपरिया, तहसील आमेर, जिला जयपुर (राज0)

.......**वादीगण**

बनाम

1. रघुनाथ पुत्र मांगू
2. नन्हूराम पुत्र मांगू
3. हरिनारायण पुत्र मांगू
4. लल्लूराम पुत्र मांगू
5. रामनिवास पुत्र जौधा
6. मनफूली देवी पत्नि श्री लालाराम उर्फ हरीश
7. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय, आमेर, जिला जयपुर
8. तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर
9. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा चौमूँ, जिला जयपुर प्रतिवादीगण

..........**प्रतिवादीगण**

वाद बाबत घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा मय दुरूस्ती रिकॉर्ड अन्तर्गत धारा – 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्ध एवं तनकी संख्या 2 प्रतिवादी के पक्ष में साबित होने तथा वादीगण बल्लूराम वगैराह द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, गुण–दोष (Merit) एवं 'प्रतिकूल कब्जे' (Adverse Possession) के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करने का इस न्यायालय को काश्तकारी अधिनियम के तहत क्षेत्राधिकार नहीं होने, और वादीगण मौके पर अपना कब्जा साबित करने में पूर्णतः विफल रहने पर वाद वादीगण खारिज (Dismiss) किया जाता है।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज ता[illegible]2026 को जारी किया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:39 IST
Reason: SelfAttested

दस्तखत——

ओहदा——

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

प्रकरण संख्या – 166/2025
बउनवानी – बल्लूराम बनाम रघुनाथ वगै0
निर्णय दिनांक – 09.01.2026

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानाभा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:39 IST
Reason: SelfAttested